दूरभाष –05278.245957
फैक्स –05278.248123

E-Mail ID : nssrmlau@gmail.com
Website : www.rmlau.ac.in

राष्ट्रीय सेवा योजना
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक : 549 / लो0अ0वि0–सा0प्र0 / 2022 दिनांक : 26 नवम्बर, 2022

कार्यालय–विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के पत्रांकः–लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 607 / 2022, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति हेतु डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से दिनांक 03.10.2020 तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे। पुनः आदेशानुसार उक्त निर्धारित तिथि को दिनांक 31.10.2020 तक विस्तरित किया गया। विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः–388 / सत्तर / रा0से0यो0को0–2021, दिनांक 27.08.2021 के क्रम में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के लिए पुनः दिनांक 10.09.2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्याः–4–48 / रा0से0यो0 / क्षे0नि0 / लख / 2021–22, दिनांक 23.11.2022 के क्रम में मा0 कुलपति महोदया के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अंशकालिक कार्यक्रम समनवयक की नियुक्ति हेतु डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के नियमित प्राध्यापकों से दिनांक 24.12.2022 तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इच्छुक प्राध्यापक अपना आवेदन–पत्र सादे कागज पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव / महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर कुलसचिव, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को दिनांक 24.12.2022 तक पंजीकृत डाक से प्रेषित करने का कष्ट करें।

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु न्यूनतम अर्हतायेः–

1.	विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में सह–आचार्य / सहायक आचार्य (चयन वेतनमान), सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2.	सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्य, जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठ भूमि तथा सह–आचार्य (रीडर) का दर्जा प्राप्त हो, को भी कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
3.	वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमाधिकारी के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष तक रहा हो।
4.	उसे प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र / प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5.	कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय उसे 50 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जायेगी और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवॉ तल, हाल नम्बर–1, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग रा0से0यो0प्र0, विधान भवन, लखनऊ।
3. मीडिया प्रभारी को उक्त कार्यालय–विज्ञप्ति को विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।
4. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को उक्त कार्यालय–विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा सम्बद्ध राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों के कालेज लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
6. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी / कुलसचिव।
7. पत्रावली।

कुलसचिव